केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

के.मा.शि.बो./क्षे.का.अहमदाबाद/परीक्षा/विषय परिवर्तन/2026 **दिनांक 27.07.2026**

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय

विषय: सत्र 2026-27 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए पंजीकृत छात्रों के विषयों में परिवर्तन/संशोधन/जोड़े या हटाए जाने के बाबत।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्रों के विषयों में परिवर्तन/संशोधन/ जोड़े या हटाए जाने के संबंध में की जा रही पूछताछ का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

1. कक्षा 9वीं या 11वीं के छात्र का बोर्ड में किए गए पंजीकरण के समय भरे गए विषयों में ही छात्र कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे सकता है।
2. यदि कोई छात्र कक्षा 9वीं या 11वीं के छात्र का बोर्ड में किए गए पंजीकरण के समय भरे गए विषयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन/जोड़ा या हटाना चाहता है तो यह प्रकरण विषय परिवर्तन की श्रेणी मे आएगा। अगर कोई छात्र/छात्रा अपने पंजीकृत विषयों में से किसी भी विषय उदाहरण के तौर पर जैसे कि कक्षा 10 वीं का छात्र **041** (गणित स्टैन्डर्ड) से **241** (गणित बेसिक) या **241** (गणित बेसिक) से **041** (गणित स्टैन्डर्ड), **101** (अंग्रेजी कम्यूनकेटिव) से **184** (अंग्रेजी- Language एवं Literature) या **184** (अंग्रेजी- Language एवं Literature) से 101 (अंग्रेजी कम्यूनकेटिव) में विषय परिवर्तन करवाना चाहता है तो यह विषय परिवर्तन माना जाएगा। यही नियम कक्षा 12वीं के छात्रों पर भी लागू होता है।
3. अगर छात्र अपने पंजीकृत विषय /विषयों (कक्षा 10 वीं या 12 वीं, जो भी जो भी लागू हो) में परिवर्तन करवाना चाहता है तो छात्र अपने संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र (**Annexure-III – संलग्न**) के साथ प्रक्रिया शुल्क जो कि रुपए 1000/- प्रति विषय/प्रति छात्र है (**Ref. Point No.II of Notification No.Coord.EC-6.12.2018/2019 dated 13.03.2019-संलग्न**) क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के खाते में जमा कर, आवेदन कर सकता है। इसके पश्चात संबंधित विद्यालय ऐसे सभी प्रकरणों को **Annexure-IV (संलग्न)** के प्रारूप में भर कर क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में अनुमोदन के लिए आवेदन करेंगे। अनुमोदन के उपरांत संबंधित विद्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद को सूचित किया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यालय LoC में विषय परिवर्तन कर सकेंगे। विषय परिवर्तन के संबंध में शर्त यह रहेगी कि छात्र द्वारा जिस विषय का परिवर्तन कराया जा रहा है वह वैध संयोजन (Valid Combination) होना चाहिए।
4. **साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि अगर किसी छात्र के कक्षा 9वीं या 11वीं में पंजीकृत विषयों का कक्षा 10वीं या 12वीं की LOC किसी प्रकार का विषय परिवर्तन बिना क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अनुमोदन के पाया जाता है तो उस विद्यालय पर के.मा.शि.बो. के संबद्धता एवं परीक्षा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।**

अनिल 27/07/26

(अनिल कुमार ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी (अहमदाबाद)

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय, आम्रकुंज अरिकेत, हीराधन सिटी के सामने, चांदखेडा, अहमदाबाद -382424
REGIONAL OFFICE, AAMRAKUNJ ARIKET, OPP. HIRADHAN CITY, CHANDKHEDA, AHMEDABAD - 382424
ईमेल/Email:- roahmedabad@cbse.gov.in दूरभाष / Tel: 079-27502025